[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **1033:2023** आईएनएससी **614**

ए.

प्रिन्टर सिंह @लवली वी.

पंजाब राज्य

(2010 की आपराधिक अपील सं. 1635) 05 जुलाई, 2023

बी.

[बी**.** आर**.** गवई और संजय करोल**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की तारीख से दो दिन पहले, मृतक-शिकायतकर्ता के भाई और उनकी सौतेली मां के बीच कथित तौर पर एक विवाद पैदा हो गया था जिसमें उसने कथित तौर पर मृतक को धमकी दी थी कि वह जीवित नहीं रहेगा-दो दिन बाद, अपीलार्थियों (सौतेली मां और सह-आरोपी) एक कार में आए और जूता खरीदने के बहाने मृतक को ले गए, जब शिकायतकर्ता भी घर में मौजूद थी और कथित तौर पर देखा कि सौतेली मां कार में अपनी 12 बोर की डबल बैरल लाइसेंस प्राप्त बंदूक ले जा रही थी-बाद में, मृतक का शव दो गोलियों के घावों के साथ पाया गया-जिस कार में अपीलार्थियों और मृतक यात्रा कर रहे थे, वह भी अंदर रखी बंदूक के साथ पाई गई थी।302 आर/डब्ल्यू एस।34, आई. पी. सी. और आजीवन कारावास की सजा-की शुद्धता-आयोजितःवर्तमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति और अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के मुद्दे पर गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह को देखते हुए, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में विफलता अभियोजन मामले में एक स्पष्ट दोष होगा-अभियोजन उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा-अपीलार्थियों संदेह के लाभ के हकदार हैं-उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया और अपास्त करना दिया गया-दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।34.

सी.

डी.

ई.

एफ.

आपराधिक कानून-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कानून-चर्चा की गई।

जी.

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-न्यायेतर स्वीकारोक्ति का कानून-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से गांव मलुका के पूर्व पंच **(**पीडब्लू**-2)** की गवाही पर आधारित है।

एच.

1033 ए.

1034 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

अतिरिक्त**-**न्यायिक स्वीकारोक्ति का संबंध है।जहाँ तक अंतिम देखे गए सिद्धांत का संबंध है**,** अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता टी**.** एस**. (**पी**.** डब्ल्यू**.-3),** अपीलार्थी एम**.** के**.** के सौतेले बेटे और जे**.** एस**. (**पी**.** डब्ल्यू**. 9)** के बयान पर निर्भर करता है।डॉ**.** आर**.** के**.** जी**. (**पीडब्लू**-5),** चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्होंने शव परीक्षण किया है और एस**.** आई**.** ए**.** एस**. (**पीडब्लू**-11)** के साक्ष्य भी प्रासंगिक होंगे।पीडब्लू**-2** के साक्ष्य से**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति वह है जिसे विश्वसनीय पाया जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आरोपी व्यक्ति **100** किलोमीटर क्यों जाएंगे।दूर जाओ और उसे स्वीकार करो।इसके अलावा**,** उसका आचरण भी अप्राकृतिक प्रतीत होता है।हालांकि आई**.** ओ**.** ए**.** एस**. (**पी**.** डब्ल्यू**.-11)** उन्हें जानते थे और उनके घर में लगाया गया टेलीफोन काम करने की स्थिति में था**,** लेकिन उन्हें टेलीफोन के माध्यम से सूचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।अवर न्यायालयों ने पीडब्लू**-2** को दिए गए अतिरिक्त**-**न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने में गलती की है।**[**पारस **9** और **13] [1040-**जी**-**एच**; 1044-**ई**-**जी**]**

बी.

सी.

1.2 एक अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में**,** अर्थात अभियुक्त को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक मृत पाया गया था**,** अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता टी**.** एस**. (**पीडब्लू**-3)** और जे**.** एस**. (**पीडब्लू**-9)** के साक्ष्य पर निर्भर करता है।यह असंभव प्रतीत होता है कि जब अपीलार्थी एम**.** के**.** ने स्वयं मृतक को धमकी दी थी कि वह अब जीवित नहीं रहेगा**,** तो एक असली भाई **(**पी**.** डब्ल्यू**.-3)** मृतक को उसके और एक अन्य आरोपी के साथ जाने की अनुमति देगा और वह भी तब जब आरोपी उसके साथ बंदूक ले जा रहा था।हालांकि पीडब्लू**-9** ने कहा है कि **03.09.1998** पर**,** आरोपी एमके ने सह**-**आरोपी पीएस को प्रोत्साहित किया था कि आरएस अकेला था और उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए**,** जब मृतक की मृत्यु अगले ही दिन हुई थी**,** तो उसे पुलिस सहित किसी को भी इसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी**,** जब तक कि उसे **10.09.1998** पर पुलिस

स्टेशन में तलब नहीं किया गया।**[**पैरा **14,16** और **19] [1044-G-H; 1045-G-H; 1046-D-E]**

डी.

ई.

एफ.

1.3 हालाँकि मृतक का शव **4** सितंबर **1998** को मिला था**,** लेकिन एमएस **(**पीडब्लू**-2)** का बयान **9** सितंबर **1998** को दर्ज किया गया था**,** जिसे कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी गई थी।एस**.** आई**.** ए**.** एस**. (**पीडब्लू**-11)** ने अपनी जाँच में स्वीकार किया है कि वह एमएस **(**पीडब्लू**-2)** को जानता था।उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पुलिस स्टेशन एमएस के कितने मामलों में गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था।यह भी ध्यान देने योग्य है कि जेएस **(**पीडब्लू**-9)** का बयान **10** सितंबर **1998** को दर्ज किया गया था।जैसा कि **(**पीडब्लू**-11)** में ए है

जी.

एच.

1035

प्रिन्टर सिंह @लवली बनाम पंजाब राज्य ए

अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया कि हालांकि आर**.** एस**.** के पिता उन दिनों जीवित थे**,** लेकिन उन्होंने अपने गाँव जाकर अपना बयान दर्ज नहीं किया।पीडब्लू**-11** ने आगे स्वीकार किया कि वह मृतक आर**.** एस**.** के घर उद्देश्य का कोई सबूत इकट्ठा करने या घटना से पहले अपना घर छोड़ने के लिए नहीं गया था।इस तरह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।इसके अलावा**,** यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू**-11** के अनुसार भी**,** कार से बरामद की गई बंदूक में दो खाली कारतुस **(**उदा**.** पी**10** और पी**11)**।इसके अलावा**,** डॉ**.** आरकेजी **(**पीडब्लू**-5)** के साक्ष्य**,** जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था**,** से पता चलता है कि कोई बाहरी निकास घाव नहीं था**,** और छड़ी और छर्रों को संरक्षित और सील कर दिया गया था।इस बारे में कोई सबूत एकत्र नहीं करने के अलावा कि क्या उक्त बंदूक अपीलार्थी एम**.** के**.** की थी**,** यहां तक कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की भी यह दिखाने के लिए जांच नहीं की गई है कि खाली गोलियों से छड़ी और छर्रों को दागा गया था **(**उदा**.** पी**10** और पी**11)**।**[**पैरा **20,21** और **22] [1046-**ई**-**एच**; 1047-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

1.4 वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है।अतिरिक्त**-**न्यायिक स्वीकारोक्ति और अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के मुद्दे पर गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह को देखते हुए**,** बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में विफलता अभियोजन मामले में एक स्पष्ट दोष होगा।अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है और इस प्रकार**,** अभियुक्त संदेह के लाभ के हकदार हैं।उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश और विचारण न्यायालय के फैसले अपास्त करना कर दिया जाता है।**[**पारस **25-27] [1047-F-G; 1048-A-B]**

डी.

ई.

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

एफ.

(1984) 4 एससीसी 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88; मुन्ना कुमार

उपाध्याय उर्फ मुन्ना उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य लोक अभियोजक, हैदराबाद के माध्यम से,

आंध्र प्रदेश (2012) 6 एससीसी 174:[2012] 6 एस. सी. आर. 611-निर्भर।

जी.

सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1995) 3** एससीसी **367:[1995] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1190;** गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2022) 12** एस**.** सी**.** सी**. 677;** गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1963) 3** एस**.** सी**.** आर**. 585;** पंजाब राज्य बनाम जुगराज

सिंह (2002) 3 एससीसी 234:[2002] 1 एस. सी. आर. 998-संदर्भित।

एच.

संदर्भित निर्णय

[1985] 1 एससीआर **88**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **5**

[2012] 6 एससीआर **611**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12 [1995] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1190** पैरा **23 (2022) 12** एस**.** सी**.** सी**. 677** पैरा **24 [1963] 3** एस**.** सी**.** आर**. 585**

बी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2002] 1 एससीआर **998**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 1635।

सी.

2001 के सी. आर. एल. ए. सं. 430 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 04.02.2010 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2010 की आपराधिक अपील No.1714।

डी.

केशवम चौधरी, ऋषि सहगल, सुश्री अरवीन सेखों, सुश्री प्रभनीर स्वानी, सुश्री हरगुन संधू, दिग्विजय सिंह, कुणाल शर्मा, निखिल जैन, सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री क्रिस्टी जैन, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।अभिनव बजाज, अजय पाल, मयंक दहिया, सुश्री सुगंध राठौर, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

1. ये अपीलें भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 34 सहपठित दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बठिंडा (इसके बाद "विचारण न्यायालय" के रूप में संदर्भित) द्वारा अभियुक्तों-अपीलार्थियों पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए 2001 की आपराधिक अपील संख्या 430-डी. बी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 फरवरी 2010 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं।

एफ.

जी.

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः-

2.1 नागा महांतनवाला डेरा के निवासी एक व्यक्ति ने दो शादियां की थीं, पहली शादी सुखविंदर कौर से और दूसरी आरोपी मंजीत कौर से हुई थी।उनकी पहली पत्नी से उनके चार बच्चे हुए, शिकायतकर्ता तपिंदर सिंह, मृतक रविंदर सिंह और दो ए।

एच.

1037

प्रिन्टर सिंह @लवली बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

बेटियाँ, जो दोनों शादीशुदा हैं।उनकी दूसरी पत्नी से उनके दो बच्चे हुए, जिनके नाम नवदीप कौर और जसविंदर कौर हैं।

2.2 शिकायतकर्ता के अनुसार, हरभजन सिंह के अपनी पहली पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे।शिकायतकर्ता तपिंदर सिंह वर्ष 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, और उनकी माँ सुखविंदर कौर ने भी वर्ष 1994 में उनका अनुसरण किया था।मंजीत कौर ने आरोप लगाया कि उसका भाई रविंदर सिंह भारत में ही रहा, जो नागा महांतनवाला डेरा के पास जावड़ी गांव में रहता था, जहां उसके पिता हरभजन सिंह अपनी सौतेली मां के साथ रह रहे थे।2.3 घटना के डेढ़ साल पहले, तपिंदर सिंह गाँव लौट आया था।उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि घटना की तारीख से दो दिन पहले, यानी 1 सितंबर 1998 को, रविंदर सिंह और मंजीत कौर के बीच उनके कथित रूप से कम नैतिक चरित्र के कारण विवाद पैदा हो गया था।रविंदर सिंह ने इस घटना के दौरान मंजीत कौर को पीटा था, जिसके बाद मंजीत कौर ने कथित तौर पर रविंदर सिंह को धमकी दी थी कि वह बच नहीं पाएगा।

बी.

सी.

डी.

2.4 दो दिन बाद, यानी 3 सितंबर 1998 को, आरोपी मंजीत कौर एक आरोपी प्रीतिंदर सिंह उर्फ लवली के साथ, जिसमें अपीलार्थी था, पंजीकरण संख्या वाली कार में आई। एचआर 21 7778 और रविंदर सिंह को जूते खरीदने के बहाने उक्त कार में ले गया।उल्लेखनीय है कि तपिंदर सिंह भी इस समय घर में मौजूद था और उसने कथित तौर पर देखा कि आरोपी मंजीत कौर कार में अपनी 12 बोर की डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक लिए हुए थी।

ई.

2.5 जब मृतक रविंदर सिंह उस शाम वापस नहीं आया तो तपिंदर सिंह के दिमाग में संदेह पैदा हो गया और अगले ही दिन वह गुरमीत सिंह के बेटे गुरदीप सिंह के साथ मृतक की तलाश में नागा महांतनवाला डेरा गया।डेरा के महांत ने उन्हें बताया कि तीन व्यक्ति, यानी दो आरोपी और मृतक, पिछली रात लगभग 9 बजे एक कार में आए थे:30 पीएम। जबकि दोनों अपीलार्थियों ने अपना भोजन किया, रविंदर ने नहीं किया।महांत ने तपिंदर सिंह को यह भी बताया कि रविंदर सिंह और मंजीत कौर एक-दूसरे से बहस कर रहे थे और जाते समय उन्होंने उल्लेख किया था कि वे अपनी कार में गाँव कोठा गुरु के निवासी सुरजीत सिंह के घर जा रहे थे।

एफ.

जी.

2.6 इसके बाद, तपिंदर सिंह सुरजीत सिंह के घर के लिए निकला और लगभग 8 बजे कोठा गुरु के रास्ते में छोटी नहर के पुल पर पहुंचा।30 सुबह, जहाँ उन्हें मृतक रविंदर का शव मिला

एच.

सिंह, नहर के फुटपाथ पर लेटे हुए।शरीर पर गोली के दो घाव थे।जिस कार में अपीलार्थियों और मृतक यात्रा कर रहे थे, वह भी वहाँ खड़ी थी, जिसमें उपरोक्त बंदूक को कारतुस के साथ अंदर रखा गया था।उसी दिन लगभग 10 बजे:15 सुबह, एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसके आधार पर 11 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई थी:00 एएम और एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी। बाद में उसी दिन 2 बजे मजिस्ट्रेट को एक विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई:15 पीएम। उसी दिन, यहां दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को पकड़ लिया गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागता भाई के के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 8 बजे गिरफ्तार किया गया और चिकित्सा जांच की गई:45 पीएम।

बी.

2.7 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सदमे, रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों को चोट लगना बताया गया है, जिसमें दो घावों की पुष्टि हाथ में आग लगने से हुई है।फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कार में पाए गए दो कारतुसों में से एक को 12 बोर की डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक के दाहिने बैरल से गोली मारी गई थी, जबकि दूसरे को उसी हथियार के बाएं बैरल से गोली मारी गई थी।2.8 जाँच के पूरा होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रथम श्रेणी, फुल के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने 21 दिसंबर 1998 के आदेश

के माध्यम से मामले को विचारण न्यायालय को सौंप दिया। विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तों-अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप तय किए।

सी.

डी.

2.9 मुकदमे के समापन पर, अंतिम देखे गए सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी हो गई है, और अभियुक्तों द्वारा की गई अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति- जिसमें अपीलार्थियों हैं कि उन्होंने पीडब्लू-2 के समक्ष मृतक रविंदर सिंह की हत्या कर दी थी- ग्राम मलुका के पूर्व-पंच मल सिंह, विचारण न्यायालय ने 10 जुलाई 2001 के फैसले और आदेश के माध्यम से, दो अभियुक्तों-अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1000/- प्रत्येक अभियुक्त द्वारा देय।2.10 दोनों अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा 2001 की आपराधिक अपील संख्या 430-डी. बी. में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी गई थी।शिकायतकर्ता तपिंदर सिंह द्वारा 2002 का आपराधिक संशोधन संख्या 347 होने के कारण एक पुनरीक्षण आवेदन भी दायर किया गया था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी। आपराधिक अपील और पुनरीक्षण आवेदन दोनों को उच्च न्यायालय द्वारा 4 फरवरी 2010 के विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि होती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1039

प्रिन्टर सिंह @लवली बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

3. अतः वर्तमान अपीलें।

4. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री केशवम चौधरी और सुश्री जसप्रित गोगिया और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव बजाज को सुना है।

5. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।शरद के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है।

बी.

बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **1.**

6. हम लाभप्रद रूप से निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं

शरद बर्डहिचंद सारदा (ऊपर) के मामले में न्यायालयः

सी.

“153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

डी.

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं।जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 में कहा था, "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033:1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] जहाँ अवलोकन किए गए थेः[एससीसी पैरा 19,पी. 807:एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.1047]

ई.

“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।”

एफ.

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

जी.

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

1 (1984) 4 एससीसी 116

एच.

1040

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

बी.

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।”

7. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "स्थापित नहीं की जा सकती हैं।"यह माना गया है कि न केवल एक व्याकरणिक है, बल्कि "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच एक कानूनी अंतर है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हें साबित करने के लिए मांगी गई परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा।

सी.

डी.

ई.

8. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी मजबूत हो, यह उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें वर्तमान मामले पर विचार करना होगा।

एफ.

9. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से माल सिंह (पीडब्लू-2) की गवाही पर आधारित है, जो गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति का संबंध रखता है।जहाँ तक लास्ट सीन थ्योरी का संबंध है, अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता तपिंदर सिंह (पीडब्लू-3), अपीलार्थी मंजीत कौर के सौतेले बेटे और जगतर सिंह (पीडब्लू-9) के बयान पर निर्भर करता है।डॉ. राकेश कुमार गोयल (पीडब्लू-5), चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्होंने शव परीक्षण किया है और एसआई अमृतपाल सिंह (पीडब्लू-11) के साक्ष्य भी प्रासंगिक होंगे।

जी.

एच.

1041

प्रिन्टर सिंह @लवली बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

10. गाँव मलुका के पूर्व सरपंच मल सिंह (पीडब्लू-2) ने कहा है कि 4 सितंबर 1998 को अपीलार्थियों मंजीत कौर और प्रीतिंदर सिंह उर्फ लवली उनके गाँव में उनके पास आए थे। उन्होंने कहा कि उस समय दोनों घबराए हुए थे।उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी मंजीत कौर उन्हें एक तरफ ले गई और उन्हें बताया कि उनके द्वारा हर्भजन सिंह के बेटे रविंदर सिंह की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह उन लोगों के साथ अवैध संबंध बना रही थी जो उनके पास आते थे।

बी.

11. यह ध्यान देने योग्य है कि जावड़ी गाँव जहाँ पीडब्लू-2 रहता है, 100 किलोमीटर दूर है। अपीलार्थियों और मृतक के गाँव से दूर।यह ध्यान देने योग्य है कि उनके साक्ष्य चूक और विरोधाभासों से भरे हुए हैं।इसके अलावा, उन्होंने इस साक्ष्य में स्वीकार किया है कि आई. ओ. अमृतपाल सिंह (पी. डब्ल्यू.-11) को वे पिछले 4-5 वर्षों से जानते थे।अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हालांकि उसके घर में एक टेलीफोन था जो काम करने की स्थिति में था, लेकिन उसने न तो मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित किया और न ही पुलिस को उक्त अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में बताया।पीडब्लू-2 ने आगे स्वीकार किया कि उसने एस. एच. ओ. को उक्त अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की कोई जानकारी नहीं दी, हालांकि वह उसे जानता था।पीडब्लू-2 ने आगे स्वीकार किया कि श्री गुरचरण सिंह उन

दिनों उनके गाँव के सरपंच थे।हालाँकि, उन्होंने अपीलार्थियों को उनसे मिलने जाने के लिए नहीं कहा।

सी.

डी.

12. मुन्ना कुमार उपाध्याय उर्फ के मामले में न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में कानून पर संक्षिप्त चर्चा की गई है।

ई.

मुन्ना उपाध्याय बनाम लोक अभियोजक**,** हैदराबाद**,** आंध्र प्रदेश **2** के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य**,** जिसमें इस न्यायालय ने

इसके पहले के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया, जो इस प्रकार हैं:"56. इस न्यायालय को कई निर्णयों में अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के प्रभाव पर चर्चा करने का अवसर मिला है।बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [1995 सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 259:1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 59] इस न्यायालय ने यह सिद्धांत कहा कि:(एस. सी. सी. पी. 265, पैरा 10)

एफ.

"10. अपनी प्रकृति से एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रशंसा की आवश्यकता होती है।जहाँ एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह अपना महत्व खो देती है।"

जी.

2 (2012) 6 एससीसी 174

एच.

57. पक्किरिसामी बनाम टी. एन. राज्य [(1997) 8 एस. सी. सी. 158:1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1249] न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:(एस. सी. सी. पी. 162, पैरा 8) "8. ... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह सावधानी का एक नियम

है जहां न्यायालय आम तौर पर इस तरह के अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर कोई भरोसा करने से पहले एक स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करेगी।"

बी.

58. पुनः कविता बनाम टी. एन. राज्य [(1998) 6 एस. सी. सी. 108:1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1421] न्यायालय ने कहा किः(एस. सी. सी. पी. 109, पैरा 4)

"4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित हो सकती है, लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि चीजों की प्रकृति में, यह सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है।इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह ही साबित किया जाना है और इसका मूल्य उस गवाह की सच्चाई पर निर्भर करता है जिसके सामने यह किया जाता है।"

सी.

59. एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के आयामों की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय राजस्थान राज्य बनाम राजा राम [(2003) 8 एस. सी. सी. 180:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1965] ने इस सिद्धांत को बताया किः(एस. सी. सी. पी. 192, पैरा 19)

डी.

"19. एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और मन की उपयुक्त स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है।स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा।स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसे यह दिया गया है।"

ई.

एफ.

न्यायालय ने आगे यह विचार व्यक्त किया किः(एस. सी. सी. पी. 192, पैरा 19) "19. ... इस तरह के स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है यदि स्वीकारोक्ति के बारे में साक्ष्य उन गवाहों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, यहां तक कि अभियुक्त के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो यह संकेत दे सकता है कि उसका उद्देश्य अभियुक्त को एक असत्य बयान देना हो सकता है।"

जी.

60. आलोक नाथ दत्ता बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [(2007) 12 एस. सी. सी. 230: (2008) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 264], न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए

कि अन्य ए. की अनुपस्थिति में निचली अदालतों द्वारा अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर निर्भरता

एच.

1043

प्रिन्टर सिंह @लवली बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

पुष्टि करने वाली सामग्री, अनुचित थी, देखी गईः(एस. सी. सी. पी. 265-66, पैरा 87 और 89)

“87. स्वीकारोक्ति आमतौर पर साक्ष्य में स्वीकार्य है।यह एक प्रासंगिक तथ्य है।उस पर कार्रवाई की जा सकती है।कुछ परिस्थितियों में और समय-समय पर उच्च न्यायपालिका द्वारा निर्धारित कानून के अधीन स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है।तथापि, यह सामान्य बात है कि उक्त प्रयोजन के लिए न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में खुद को संतुष्ट करना होगाः((i) स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता; (ii) स्वीकारोक्ति की सच्चाई; (iii) पुष्टि।

बी.

***

सी.

89. एक विस्तृत स्वीकारोक्ति जो अन्यथा अभियुक्त के विशेष ज्ञान के भीतर होगी, स्वयं इस धारणा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है कि स्वीकारोक्ति एक सच्ची है।स्वीकारोक्ति की मुख्य विशेषताओं को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कोई भी दोषसिद्धि केवल उसके आधार पर नहीं हो सकती है।”61. न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता को स्वीकार करते हुए,

डी.

न्यायालय ने संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य [(2010) 10 एस. सी. सी.

604 :(2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 79] ने कहा किः(एस. सी. सी पी.611, पैरा 29-30) "29. ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है, हालांकि आम तौर पर एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि किसी अन्य द्वारा की जानी चाहिए।

ई.

सामग्री।[थिम्मा और थिम्मा राजू बनाम मैसूर राज्य

[(1970) 2 एससीसी 105:1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 320], मुल्क राज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [ए. आई. आर 1959 एस. सी. 902:1959 श्री एल. जे. 1219], शिवकुमार बनाम राज्य [(2006) 1 एस. सी. सी. 714:(2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 470]

एफ.

पैरा 40 और 41), शिव करम पायस्वामी तिवारी बनाम राज्य

महाराष्ट्र का [(2009) 11 एस. सी. सी. 262:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1320] और मोहम्मद।आजाद बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [(2008) 15 एस. सी. सी. 449:(2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 1082]]

30. वर्तमान मामले में, बलवान द्वारा न्यायेतर स्वीकारोक्ति का उल्लेख विद्वान मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायाधीश के निर्णयों में विद्वान गया है, और इसकी पुष्टि अभिलेख पर अन्य सामग्री द्वारा की गई है।हम संतुष्ट हैं कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी और प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं था जैसा कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 द्वारा विचार किया गया था।"

जी.

एच.

62. एक अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति से पीछे हटने की स्थिति से निपटने के लिए, रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ न्यायालय गुजरात राज्य [(2009) 5 एस. सी. सी. 740:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 881] निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः(एस. सी. सी. पीपी. 772-73, पैरा 53)

बी.

"53. अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अपनी स्वीकारोक्ति वापस ले ली है।जब एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को एक अभियुक्त द्वारा वापस लिया जाता है, तो कोई अनम्य नियम नहीं होता है कि न्यायालय को निश्चित रूप से वापस लेने को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ ही न्यायालय के लिए वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना असुरक्षित है, जब तक कि न्यायालय पूरे साक्ष्य पर विचार करने पर एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि वापस लिया गया स्वीकारोक्ति सच है।"

सी.

63. न्यायेतर स्वीकारोक्ति को सच साबित किया जाना चाहिए और स्वेच्छा से और मन की एक उपयुक्त स्थिति में किया जाना चाहिए।गवाहों के शब्द स्पष्ट, स्पष्ट होने चाहिए और स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि आरोपी अपराध का अपराधी है।अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है, यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है।अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति से विश्वास पैदा होना चाहिए और न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि क्या इसका समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर अन्य ठोस परिस्थितियाँ हैं।[रेफ. एस. के. यूसुफ बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [(2011) 11 एस. सी. सी. 754:(2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 620] (एस. सी. सी. पीपी. 762-63, पैरा 28) और पंचो बनाम हरियाणा राज्य [(2011) 10 एस. सी. सी. 165: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 223]]”13. पीडब्लू-2 के साक्ष्य से हम पाते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति वह है जिसे विश्वसनीय पाया जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आरोपी व्यक्ति 100 किलोमीटर क्यों जाएंगे।दूर जाओ और उसे स्वीकार करो।इसके अलावा, उसका आचरण भी अप्राकृतिक प्रतीत होता है।हालांकि आई. ओ. अमृतपाल सिंह (पीडब्लू-11) उन्हें जानते थे और उनके घर में लगाया गया टेलीफोन काम करने की स्थिति में था, लेकिन उन्हें टेलीफोन के माध्यम से सूचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।इसलिए, हमारा विचार है कि अवर न्यायालयों ने पीडब्लू-2 को दिए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने में गलती की है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

14. यह हमारे पास एक और परिस्थितिजन्य सबूत छोड़ता है, यानी कि आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक मृत पाया गया था।इस संबंध में अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता तपिंदर सिंह (पीडब्लू-3) और जगतर सिंह (पीडब्लू-9) के साक्ष्य पर निर्भर करता है।पीडब्लू-3 अपीलार्थी मंजीत कौर का सौतेला बेटा है।उनके पास खुद ए है

एच.

अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि उनके और अपीलार्थी मंजीत कौर के बीच संबंध तनावपूर्ण थे।उनके बयान के अनुसार, रविंदर सिंह और अपीलार्थी मंजीत कौर के बीच झगड़ा हुआ करता

था।उसने कहा है कि रविंदर सिंह मंजीत कौर को पीटता था।उसने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि मंजीत कौर ने अपने भाई से कहा था कि, "उसने उसके साथ अच्छा काम नहीं किया है और वह अब और नहीं बचेगा।" इस कथन की पृष्ठभूमि में, उनका यह कथन कि 3 सितंबर 1998 को जब वे अपने घर में मौजूद थे, अपीलार्थी प्रीतिंदर सिंह एक कार में आया और अपने भाई रविंदर सिंह को मंजीत कौर के साथ जूते खरीदने के लिए भागता जाने के बहाने ले गया, असंभव प्रतीत होता है।यह उसका अगला बयान है कि अपीलार्थी मंजीत कौर भी अपनी बंदूक अपने साथ ले गई थी।

बी.

सी.

15. उन्होंने कहा कि चूंकि वे नहीं लौटे, इसलिए उनके दिमाग में संदेह पैदा हो गया।इसलिए वे गुरदीप सिंह के साथ मृतक रविंदर सिंह की तलाश में गए।वे मलूका गाँव के डेरा में गए जहाँ डेरा के महांत ने उन्हें बताया कि मंजीत कौर और प्रीतिंदर सिंह वहाँ लगभग 09.30 बजे आए थे। इसके बाद, उन्होंने कहा कि महंत ने उन्हें बताया कि अपीलार्थियों और मृतक ने यह कहते हुए डेरा छोड़ दिया था कि उन्हें सुरजीत सिंह के घर जाना है।फिर शिकायतकर्ता और गुरदीप सिंह सुरजीत सिंह के घर के लिए निकले और जब वे सुबह लगभग 08.30 बजे छोटी नहर के पुल पर पहुंचे, तो उन्होंने छोटी नहर के फुटपाथ पर उनके भाई का शव देखा।उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई के शरीर पर दो बंदूक की गोलियां थीं।गाड़ी भी वहाँ खड़ी थी।बंदूक कार में एक बेल्ट के साथ पड़ी थी जिसमें 7 कारतुस थे।इसके बाद, जब वह और गुरदीप सिंह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो उन्हें वी. गुरुका कथा के बस स्टैंड के पास एस. आई. अमृतपाल सिंह (पीडब्लू-11) के नेतृत्व में एक पुलिस दल मिला, जिसे उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया।जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, अपीलार्थी मंजीत कौर और इस गवाह के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं।इस प्रकार, इस गवाह की गवाही, एक इच्छुक गवाह होने के नाते, अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांची जानी चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

16. यह असंभव प्रतीत होता है कि जब अपीलार्थी मंजीत कौर ने स्वयं मृतक को धमकी दी थी कि वह जीवित नहीं रहेगा, तो एक असली भाई मृतक को उसके और एक अन्य आरोपी के साथ जाने की अनुमति देगा और वह भी तब जब आरोपी उसके साथ बंदूक ले जा रहा था।हम पाते हैं कि इस गवाह के साक्ष्य को एक चुटकी नमक के साथ लेना होगा।

जी.

एच.

17. कथित तौर पर अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को विश्वास दिलाने वाला एक अन्य गवाह जगरूप सिंह का बेटा जगतर सिंह (पीडब्लू-9) है।इस गवाह के अनुसार, 3 सितंबर 1998 को आरोपी मृतक रविंदर सिंह के साथ डेरा में आया था जब वह वहां जाने गया था।उन्होंने कहा कि जब रविंदर सिंह पेशाब करने गया तो मंजीत कौर ने सह-आरोपी प्रीतिंदर सिंह को यह कहकर उकसाया कि रविंदर सिंह अकेला है और उसे हटा दिया जाना चाहिए।पीडब्लू-9 ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने वहां के लंगर में खाना खाया और बाहर चला गया।

बी.

18. पीडब्लू-9 की जिरह से पता चलता है कि हालाँकि यह घटना 3 सितंबर 1998 को हुई थी, लेकिन उनका बयान 10 सितंबर 1998 को दर्ज किया गया था।उनके साक्ष्य विरोधाभासों और चूक से भरे हुए हैं।जिरह में प्रवेश स्वयं उनकी उच्च साख को दर्शाता है।उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें अन्य अभियुक्तों के साथ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और निचली विचारण न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।उसने आगे स्वीकार किया है कि वह एक गुरसेवक सिंह की हत्या के मामले में लगभग 4 साल तक जेल में रहा था।19. हालांकि पीडब्लू-9 ने कहा है कि 3 सितंबर 1998 को आरोपी मंजीत कौर ने सह-आरोपी प्रीतिंदर सिंह को उकसाया था कि रविंदर सिंह अकेला था और उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, जब मृतक की मौत अगले ही दिन हुई थी, तो उसे 10 सितंबर 1998 को पुलिस स्टेशन बुलाए जाने तक पुलिस सहित किसी को भी इसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

सी.

डी.

ई.

20. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि मृतक का शव 4 सितंबर 1998 को मिला था, लेकिन माल सिंह (पीडब्लू-2) का बयान 9 सितंबर 1998 को दर्ज किया गया था, जिनके सामने कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी।एस. आई. अमृतपाल सिंह (पीडब्लू-11) ने अपनी जाँच में स्वीकार किया है कि मल सिंह (पीडब्लू-2) उन्हें जानते थे।उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके पुलिस स्टेशन मल सिंह के कितने मामलों में गवाह के रूप

में उद्धृत किया गया था।यह भी ध्यान देने योग्य है कि जगतर सिंह (पीडब्लू-9) का बयान, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 10 सितंबर 1998 को दर्ज किया गया था।

एफ.

जी.

21. अमृतपाल सिंह (पीडब्लू-11) ने भी अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि हालाँकि रविंदर सिंह के पिता उन दिनों जीवित थे, लेकिन उन्होंने अपने गाँव जाकर अपना बयान दर्ज नहीं किया था।पीडब्लू-11 ने आगे स्वीकार किया कि वह मृतक रविंदर सिंह के घर उद्देश्य का कोई सबूत इकट्ठा करने या घटना से पहले अपना घर छोड़ने के लिए नहीं गया था।

एच.

1047

प्रिन्टर सिंह @लवली बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

22. हम पाते हैं कि ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-11 के अनुसार भी, कार से बरामद की गई बंदूक में दो खाली कारतुस (उदा. पी10 और पी11)।इसके अलावा, डॉ. राकेश कुमार गोयल (पीडब्लू-5), जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, के साक्ष्य से पता चलता है कि कोई बाहरी निकास घाव नहीं था, और छड़ी और छर्रों को संरक्षित और सील कर दिया गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस बारे में कोई सबूत एकत्र नहीं करने के अलावा कि क्या उक्त बंदूक अपीलार्थी मंजीत कौर की थी, यहां तक कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ से भी यह दिखाने के लिए जांच नहीं की गई है कि खाली कारतुस (उदा. पी10 और पी11)।

बी.

सी.

23. इसकी निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय **3:**

“21. .....इस बात पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में जहां आग्नेयास्त्रों से चोटें आती हैं, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय काफी महत्वपूर्ण है जहां एक आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए जांच के दौरान आग्नेयास्त्र और अपराध कार्ट्रिज दोनों बरामद किए जाते हैं।ऐसे मामलों में निचली विचारण न्यायालय के समक्ष विशेषज्ञ की राय पेश करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले की साख को काफी हद तक प्रभावित करती है।”

डी.

24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले को हाल ही में गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **4** के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग किया गया है।

ई.

गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य **5** और पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह **6**।

25. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जुगराज सिंह (उपरोक्त) का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला था, जहाँ दो चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य थे।वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है।न्यायेतर स्वीकारोक्ति और अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के मुद्दे पर गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह को देखते हुए, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच करने में विफलता, हमारी राय में, अभियोजन मामले में एक स्पष्ट दोष होगा।इसलिए हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष मामले को इससे आगे साबित करने में विफल रहा है।

एफ.

जी.

3 (1995) 3 एससीसी 367 4 (2022) 12 एससीसी 677 5 [1963] 3 एससीआर 585 6 (2002) 3 एससीसी 234

एच.

उचित संदेह और इस प्रकार, अभियुक्त संदेह के लाभ के हकदार हैं।

26. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है।4 फरवरी, 2010 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश और 10 जुलाई, 2001 के विचारण न्यायालय के फैसले अपास्त करना कर दिया गया है।27. अपीलार्थियों के जमानत बांडों को खारिज कर दिया जाएगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.